e-mail
By Regd.Post

पत्रांक–20 / चि0प्र0–09 (मु0)–01 / 2019सा0प्र0–...../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक फरवरी, 2019.

विषय – राज्य सरकार के कर्मियों के द्वारा राज्य से बाहर करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि जिला कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों / पदाधिकारियों के द्वारा राज्य से बाहर करायी गई चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव विभाग को भेजते समय विधिवत जाँच नहीं की जाती है और प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है।

2. राज्य सरकार के कर्मियों के चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बिहार उपचार नियमावली प्रवृत्त है तथा समय–समय पर संकल्प / परिपत्र आदि निर्गत है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है, परन्तु अधिकांश मामलों में यह पाया गया है कि अभिलेखों की जाँच के बिना ही प्रस्ताव भेज दिया जाता है और जाँच के क्रम में त्रुटियां परिलक्षित होती हैं, जिनका निराकरण कराने में अनावश्यक विलम्ब होता है। यह भी पाया जा रहा कि राज्य से बाहर चिकित्सा कराने हेतु संबंधित अधिकृत संस्थान से अनुशंसा कराये बिना ही चिकित्सा करा ली जाती है और बाध्यकारी परिस्थिति का हवाला देते हुए घटनोत्तर स्वीकृति की अपेक्षा विभाग से की जाती है जो सही नहीं है।

अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों / पदाधिकारियों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भेजते समय निम्नांकित अभिलेखों की जाँच किया जाना सुनिश्चित किया जाये –

1. चिकित्सा पूर्जा मूलरुप में हो।
2. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 1070(14) दिनांक 20.05.2006 की कंडिका 3 (iv) के आलोक में विहित चिकित्सा संस्थान से राज्य से बाहर चिकित्सा कराये जाने हेतु रेफर किये जाने की अनुशंसा का प्रमाण–पत्र मूलरुप में।
3. डिस्चार्ज समरी मूलरुप में।
4. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 997(14) दिनांक 28.08.2015 एवं 647(14) दिनांक 26.03.2012 के आलोक में विहित प्रपत्र में पूर्णरुपेण भरा हुआ हो एवं मुहरांकित हस्ताक्षरित हो।
5. चिकित्सा संस्थान के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अभिश्रव मूलरुप में हो।

6. आश्रित होने की स्थिति में शपथ–पत्र मूलरुप में हो।

7. राज्य से बाहर चिकित्सा कराने की पूर्वानुमति से संबंधित पत्र मूलरुप में हो।

8. बाध्यकारी परिस्थिति में यदि घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव हो तो उसके कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

9. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों/संकल्पों तथा प्रवृत्त नियमावली के आलोक में भी जॉच किया जाना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त अभिलेखों के जाँचोपरान्त तद्नुरुप अनुशंसा सहित भेजे गये प्रस्तावों पर ही विभाग द्वारा विचार किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या–20/चि0प्र0–09(मु0)–01/2019सा0प्र0–.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या–20/चि0प्र0–09 (मु0)– 01 /2019सा0प्र0–1907 पटना, दिनांक 11.2.19

प्रतिलिपि – आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधित पदाधिकारी के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

11/2/19

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।